संख्या-85/2022/841/22-2-2021-17(942)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 21 जून, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ननकऊ पुत्र श्री बाबादीन, निवासी जनपद-श्रावस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11.02.2021, दिनांक 22.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी ननकऊ पुत्र श्री बाबादीन, जो ग्राम-कन्जड़वा, थाना-इकौना, जनपद-श्रावस्ती का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी मुकद्मेंबाजी की रंजिश एवं केस में सुलह न करने को लेकर दिनांक 02.06.2005 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अनन्तराम की पत्नी संतोष कुमारी एवं 14 वर्षीय पुत्र अजय कुमार की सोते समय धारदार हथियार से गर्दन एवं हाथ काटकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/05, में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149,307/149,452 आई0पी0सी0 व 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती के आदेश दिनांक 17.08.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.12.2020 तक 08 वर्ष, 06 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष, 09 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा पुरानी मुकद्मेंबाजी की रंजिश एवं केस में सुलह न करने को लेकर दिनांक 02.06.2005 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अनन्तराम की पत्नी संतोष कुमारी एवं 14 वर्षीय पुत्र अजय कुमार की सोते समय धारदार हथियार से गर्दन एवं हाथ काटकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में गलत संदेश जाएगा। बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझें यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ननकऊ (बन्दी संख्या-221/2019) पुत्र श्री बाबादीन, निवासी जनपद-श्रावस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-85/2022/841(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-श्रावस्ती ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।